न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 21/2024

वादी

1 लिखमाराम पुत्र चुतराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लाणीकांठा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 खरथाराम पुत्र अणदाराम 2 गवरीदेवी पत्नी नानगाराम 3 जेठाराम पुत्र अणदाराम 4 दलाराम पुत्र मोटाराम 5 हनुमानराम 6 हेमाराम पिसरान अणदाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लाणीकांठा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर

7 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री डूंगरसिंह महेचा, वकील वादी पक्ष।
2. श्री प्रेम प्रजापत, वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 06।

निर्णय

दिनांक 13.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 21/2024 अनवान लिखमाराम बनाम खरथाराम वगैराह में दिनांक 17.05.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व/पीडी/2024/983 दिनांक 20.12.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्ष द्वारा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गई।

अतः तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के मध्य जाकर मौजा लाणीकांठा पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 557/161 रकबा 9.7124 हैक्टेयर भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	लिखमाराम पुत्र चुतराराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार	557/161	3.2374	बा.दो.	1.19	गुलाबी
2	दलाराम पुत्र मोटाराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार	557/161	3.2375	बा.दो.	1.20	आसमानी
3	खरथाराम जेठाराम हनुमानराम हेमाराम पिसरान अणदाराम हिस्सा 4/5 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार गवरी देवी पत्नी नानगाराम हिस्सा 1/5 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार	557/161	3.2375	बा.दो.	1.20	हरा

तहसीलदार बाडमेर ग्रा[illegible] अभिलेख में अमल दरामद कर नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न [illegible] का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:35:42 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा[illegible])
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर